

पत्र सं०-आई०टी०/कोर्ट केस माड्यूल/2021-22/2122045 / 904/वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(आई०टी० अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 14, दिसम्बर :: 2021

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर,

समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय-UPVAT/UPGST अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालय स्तर पर लम्बित वादों के अनुश्रवण की ऑनलाइन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

UPVAT Act एवं / UPGST Act (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध व्यापारियों द्वारा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी, मा० अधिकरण, मा० उच्च न्यायालय के समक्ष अपील/रिवीजन/रिट योजित की जाती है। वर्तमान में प्रत्येक स्तर पर न्यायालय के समक्ष मामलों के अनुश्रवण की कोई ऑनलाइन व्यवस्था विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलों के निस्तारण एवं सूजित मांग की वसूली की अद्यतन स्थिति का प्रभावी अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है।

मा० सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधिकरण एवं अपील स्तर पर लम्बित मामलों तथा भविष्य में उक्त न्यायालयों में योजित होने वाले मामलों एवं उसके प्रभावी अनुश्रवण के उद्देश्य से आई०टी० अनुभाग द्वारा "कोर्ट केसेज" का एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है जिसे विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध Departmental Services Menu में इस निर्देश के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है कि कर निर्धारण एवं प्रवर्तन इकाईयों द्वारा विभिन्न न्यायालय स्तर पर लम्बित मामलों की यथावाञ्छित शुद्ध प्रविष्टियाँ उक्त "कोर्ट केसेज" मॉड्यूल में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय कार्य एवं उच्च न्यायालय कार्य में नियुक्त एडीशनल कमिश्नर एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर द्वारा भी मा० उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों की यथेष्ट प्राविष्टियाँ करायी जायेंगी।

UPGST Act की धारा-107(11) के अन्तर्गत पारित अपील आदेशों के विरुद्ध मा० अधिकरण के समक्ष अपील योजित किए जाने वाले मामलों की प्रविष्टि भी इसी मॉड्यूल में की जायेगी जिससे मा० अधिकरण की स्थापना होने पर इन मामलों में द्वितीय अपील योजित होने की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सकेगा। जोन स्तर पर 2017 से लेकर अद्यतन वह समस्त प्रकरण जो जोनल लेवल कमेटी द्वारा ट्रिव्यूनल गठन के पश्चात द्वितीय अपील योग्य पाये गये हैं, उन समस्त प्रकरणों की प्रविष्टि दिनांक 31.01.2022 तक प्रत्येक दशा में करा ली जायेगी तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वाद अनुभाग को प्राप्त करायेंगे एवं इसकी प्रतिलिपि आई०टी० अनुभाग को भी प्रेषित करेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।


  
(मिनिस्ती एस.)

कमिश्नर, वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

पृ०प०संख्या व दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि-

1- डिप्टी कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

  
(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।